पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का आपराधिक विविध संख्या 28291

थाना मामला संख्या -474 वर्ष-2014 से उत्पन्न, थाना- सिवान शहर जिला- सिवान

==========

1. रामाशंकर यादव और अन्य पिता स्वर्गीय सूर्य नाथ फार्मासिस्ट
2. परशुराम यादव पिता सारदा यादव (स्वास्थ्य सेवक)
3. आशा बिजेंद्र पति ब्रजेश कुमार पांडे (ए. एन. एम.)
4. मीना कुमारी पति महादेव चौधरी (जी. एन. एम.) सभी नियुक्ति सदर अस्पताल सीवान, थाना- सिवान शहर, जिला- सिवान

....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... विपक्षीगण/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री चंद्र कांत, अधिवक्ता
	:	श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष/ओं के अधिवक्ता	:	श्री शांतनु कुमार, एपीपी
विपक्षीगण/ओं के लिए	:	श्री रवि भूषण भारत, अधिवक्ता

==========

o *दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 482: आदेश को निरस्त करने का आवेदन। भारतीय दंड संहिता, धारा 304 और 34: आरोपियों पर केवल अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का*

आरोप लगाया गया था। प्रथम दृष्टया, यह धारा 304 के तहत मामला नहीं बनता।(पैरा–1–4)

o *सह-आरोपियों (डॉक्टरों) के खिलाफ कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है।* ***निर्णय:*** *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) के दिशानिर्देशों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ लिया गया आदेश निरस्त किया गया।(पैरा–9, 10)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः15-04-2024

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और विपक्षीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को 2014 के सिवान शहर थाना कांड संख्या 474 और 2014 के जी. आर. संख्या 5627 में पारित दिनांक 23.11.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जहां विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवान ने भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा0द0वि0) की धारा 304 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया था।

3. नोटिस की सेवा के बावजूद, विपक्षी संख्या 2 वर्तमान कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहता है।

4. सूचक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाते हुए कि सूचना देने वाला अपनी पत्नी के साथ सीवान शहर अस्पताल में नौतन रिफरल अस्पताल से लगभग 4:00 बजे सुबह

12.11.2014 पर आया था और उसके बाद सूचक की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था, कोई एएनएम नहीं था, आपातकालीन वार्ड में कोई फार्मासिस्ट नहीं था, सभी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, उसके बाद सूचक ने सिविल सर्जन से फोन पर बात की, फिर भी सूचक की पत्नी को कोई इलाज नहीं दिया गया, डॉक्टर लगभग 8:00 बजे आए लेकिन डॉ. प्रियंका ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, इसलिए सूचक की पत्नी की 10:00 बजे मृत्यु हो गई।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एक ही मामले में दो सह-अभियुक्त व्यक्ति डॉ. प्रियंका और डॉ. मुकेश कुमार, जो इलाज किए गए रोगी यानी सूचना देने वाले की पत्नी, उनके आवेदन को रद्द करने के इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने अपराधिक विविध वाद संख्या 24156/2016 दिनांक 25.10.2016 आदेश के माध्यम से पहले ही अनुमति दे दी है। उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जहां याचिकाकर्ता संख्या 1 फार्मासिस्ट है, याचिकाकर्ता संख्या 2 स्वास्थ्य सेवक है, याचिकाकर्ता संख्या 3 ए. एन. एम. (सहायक नर्स और मिडवाइफ) और याचिकाकर्ता संख्या 4 जी. एन. एम. (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) है, जो सदर अस्पताल सिवान के साथ काम कर रहा है और तैनात है, क्योंकि वे कोई चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं थे और उनकी भूमिका केवल सहायक चिकित्सा कर्मचारियों के रूप में थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि *प्रथम दृष्टया*, उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिकतम आरोप उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहना था, जो प्रशासनिक/विभागीय कार्रवाई के लिए एक आधार हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से दंडनीय अपराध 304 को आकर्षित नहीं कर सकता है ।

6. तर्क का समापन करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में न्यायालय ने 1992 सप्लीमेंट (1) सुप्रीम कोर्ट के मामलों 335 में रिपोर्ट दी।**

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने रद्द करने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह सामूहिक लापरवाही का मामला है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी के अनुसार आरोप उनके कर्तव्य से अनुपस्थित रहना है जब सूचक ने अपनी बीमार पत्नी के साथ सदर अस्पताल से संपर्क किया।

8. पैराग्राफ संख्या को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 102 **भजन लाल मामला (उपरोक्त) में**, जो इस प्रकार है इसके अंतर्गतः

> "102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में, जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज़ किए गए और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार

के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहाँ पहली सूचना देने वाली रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच को उचित ठहराते हुए संज्ञेय अपराध का खुलासा न करें।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य शून्य अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके

आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में शामिल कानूनी बार संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, एफ. आई. आर. के अनुसार याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप केवल अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए है जब सूचना देने वाले ने सदर अस्पताल से संपर्क किया, जो किसी भी पूर्व कल्पना से, *प्रथम दृष्टया*, आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत एक मामले को आकर्षित करने के लिए आश्वस्त नहीं है। सह-अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही, डॉक्टरों ने पहले ही इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ में से एक द्वारा अपराधिक विविध वाद संख्या 24156/2016 दिनांक 25.10.2016 के माध्यम से रद्द कर दिया है। तदनुसार, पैरा सं. में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए। 1,5 **और भजन लाल मामले (उपर्युक्त) का 7,** का आदेश 2014 के सिवान शहर थाना कांड संख्या 474 और

2014 के जी. आर. नंबर 5627 में पारित की गई सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ दिनांक 23.11.2015 का संज्ञान, जैसा कि 2014 के सिवान शहर थाना कांड संख्या 474 और 2014 के जी. आर. नंबर 5627 में पारित किया गया था, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवान के समक्ष लंबित है और इसे रद्द कर दिया जाता है।

10. आवेदन की अनुमति है।

11. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वान निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस.त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।